

वा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के सबंध में ।

R. C. W. DA
13/1/22
महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं श्रीमती अनीता कुमारी सिन्हा पति श्री अरविन्द कुमार

ग्राम सुमरी तिलैया पो. सुमरी तिलैया थाना तिलैया

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा गुमो
2. थाना तिलैया
3. थाना न० 12
4. खाता न० 74
5. प्लॉट न० 5864
6. रकबा 08 बी
7. भूमि का किस्म खेती
8. अधतन रसिद न० 0893884628 दिनांक 13/4/2022 04 2022-23
9. दा० खारिज वाद संख्या 1366/2008-2009

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

अनीता कुमारी सिन्हा

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा


भूमि सत्यापन अभिलेख सं०...394/2022

16.12.2022 आवेदिका श्रीमती अनीता कुमारी सिन्हा पति अरविन्द कुमार, साकिन-झुमरी तिलैया, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किस्म
गुमो	12	74	5864	08 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करे।

अभिलेख दिनांक 24/12/2022 को प्रस्तुत करें।



16/12/22
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

24.12.2022 अभिलेख उपस्थापित।

30.12.2022 आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-74, प्लॉट सं०-5864, रकबा-08 डी०, भूमि श्रीमती अनीता कुमारी सिन्हा पति अरविन्द कुमार के नाम से पंजी-11 के पृष्ठ सं०-08 भाग सं०-33 पर दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में दा० खा० वाद सं०-1366/2008-09 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-77 दिनांक-08.01.2007 द्वारा हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2022-23 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-03 दिनांक-12.12.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-74, प्लॉट सं०-5864, रकबा-08 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्गम लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


30/12/22
अंचल अधिकारी,
कोडरमा